विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) से छूट

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488–औ.वि. /सात–2–08/2008 दिनांक 29–2–2008 के प्रस्तर–5(5) द्वारा अनुमोदित)

1. संक्षिप्त नाम

यह योजना ''विनिर्माणक (Manufacturing) क्षेत्र के नये उद्यमों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय **मूल्य वर्धित कर** की प्रतिपूर्ति नियमावली–2008 कहलाएगी।

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले विनिर्माणक उद्यमों को बाजार की प्रतिस्पर्धा को बनाये रखते हुए इकाई के उत्पादन मूल्य में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके।

3. कार्यान्वयन की अवधि

यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2018 तक अथवा जब तक शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश पारित न कर दिया जाय, लागू रहेगी।

4. परिभाषायें

(क) मूल्य वर्धित कर (VAT):– मूल्य वर्धित कर से तात्पर्य, ''विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना विविध संख्या–615/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2005 से प्राख्यापित ''उत्तराखण्ड राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005'' (अधिनियम संख्या–27 वर्ष 2005) में परिभाषित मूल्य वर्धित कर से अभिप्रेत है।

(ख) विनिर्माण/उत्पादक तथा सेवा उद्यमः–

(1) नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II.08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13

में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 व 2 में परिभाषित किया गया है।

(2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(3) बृहत उत्पादक उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत् निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस.आई.ए./आई.ई.एम./आशय पत्र (जैसी भी स्थिति हो) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

5. स्वीकार्य मूल्य वर्धित कर (VAT)

पात्र औद्योगिक एककों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की विक्री पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर स्वीकृत सहायता की सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा **श्रेणी–ए** के जनपदों के लिए कुल कर देयता का 90 प्रतिशत तथा **श्रेणी–बी** के जनपदों में कुल कर देयता का 75 प्रतिशत होगी। उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थायी निवासियों द्वारा **श्रेणी–बी** के जनपदों में स्थापित उद्यमों को भी मूल्य वर्धित कर में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता श्रेणी–ए के जनपद के समान अर्थात 90 प्रतिशत देय होगी।

6. मूल्य वर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया

मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय नोड़ल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

7. मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

पात्र उद्यमियों द्वारा त्रैमासिक, षटमासिक अथवा वार्षिक रूप से, कर निर्धारण एवं कर भुगतान करने के पश्चात्, अपने उद्यम में उत्पादित उत्पाद के विक्रय पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर के प्रमाणित/सत्यापित प्रपत्रों सहित निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहपत्र/अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगेः–

(क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किए गए उद्यमिता ज्ञाप भाग–2 की प्रति अथवा बृहत उद्योग की स्थापना के पश्चात् भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में फाईल किये गये आई.ई.एम. पार्ट–2/एल.ओ.आई. की सत्यापित प्रति।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(ग) वैध मूल्य वर्धित कर भुगतान की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

(घ) वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Returns) की सत्यापित प्रति।

8. प्रतिपूर्ति दावों की वसूली।

(क) यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(ख) उद्यमि द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न कराए या उक्त नियमावली अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के निर्धारित मानकों के पालन न करने पर प्रतिपूर्ति सहायता राशि एकमुश्त भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।